न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/68/2022

प्रेमनिधि शर्मा पुत्र गोपाल राम शर्मा न्यू बाग कालोनी रुपवास 321404 जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 11.10.2022**

अपीलार्थी प्रेमनिधि शर्मा पुत्र गोपालराम शर्मा न्यू बाग कालोनी रुपवास 321404 जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/662 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा लोक सूचना तहसीलदार रुपबास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी के आर.टी.आई. के तहत प्रार्थना पत्र जिसमें प्रभारी अधिकारी तहसीलदार रुपबास सूचना चाही गई है का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें तहसीदार रुपबास ने अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाचुकी है। अस्तु अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार रुपबास से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.............2

प्रेमनिधि शर्मा बनाम तहसीलदार रुपबास

सलंग्न कर) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर